कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 2976/2 ई0व0प्र0 दिनांक 21/12/2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर।

विषयः– जनपद बागेश्वर में हरिनगरी–पप्या–दाबू हडाप मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के सन्दर्भित्र के अनुपालन में उपलब्ध करायी गई सूचना चाही गई सूचना के अनुरूप नही है। भारत सरकार द्वारा चाही गई सूचना निम्नानुसार–

क्र0स0	लगाई गयी आपत्तियॉ	आपत्तियों का निराकरण
1	Short narrative of Projects does not give adequate information about the project.	प्रोजेक्ट के विषय में लिख दिया गया है।
2	Starting and end point of the propose road is not marked on the SOI Toposheet uploaded in part I.	मोटर मार्ग का आरम्भिक और अन्तिम बिन्दु नक्शे में दर्शाया गया है।
3	As per details provided in hard copy the proposed is and extension of already approved road. Therefore past information in the designated column in Part I regarding prior approved case is not found in Part-I	प्रस्तावित मोटर मार्ग जिसका पूर्व निर्मित मोटर मार्ग extension है की पूर्व में सैद्वान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्र सं0 8बी0/यू0सी0पी0/06/150/2005/एफ0सी0/2991,दिनांक 20.02.2008 द्वारा प्राप्त है (छायाप्रति संलग्न)।
4	The Muck disposal is proposed within ROW therefore GPS coordinates may be provided for all points marked for the dumping along the streth of proposed road in Geo-refermeed Map.	मोटर मार्ग के Muck disposal के सम्बन्ध में समस्त बिन्दुओं को नक्शे में दर्शाया गया है।
5	Part I, II, III, IV and V filled in online form is not provided with the hard copy of the proposal.	पार्ट I, II, III की प्रति पूर्व में प्रस्ताव में संलग्न है। पुनः फोटो प्रति 4–4 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। पार्ट IV एवं V नोडल अधिकारी एवं राज्य सरकार स्तर के है।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
Shankar बागेश्वर

संख्या–जी0आई0– 1047 /7–1–2006–600(1151)/2005.

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तरांचल, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग देहरादून : दिनांक 10 मार्च, 2006.

विषय:– जनपद–बागेश्वर में हरिनगरी–पर्यां मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.90 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या:–3731/1जी–1155 (बाग0) दिनांक 03–03–2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद–बागेश्वर में हरिनगरी–पर्यां मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.90 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/150/2005/एफ.सी./2991 दिनांक 20–02–2006 में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तो पर प्रदान करते हैं–

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. लोक निर्माण विभाग उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह, उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. लोक निर्माण विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगें और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं लोक निर्माण विभाग पर बाध्यकारी होगा, लोक निर्माण विभाग द्वारा देय होगा।
4. उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि लोक निर्माण विभाग को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि लोक निर्माण विभाग को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो लोक निर्माण विभाग के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
5. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
6. वन भूमि पर खड़े वृक्षों, यदि कोई हो और उनका पातन किया जाना नितान्त आवश्यक हो तो वह केवल उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा ही निस्तारित किया जायेगा।
7. वन क्षेत्र में परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिए वनों को हानि न पहुँचायें, इसके लिए लोक निर्माण विभाग ईंधन की लकड़ी अथवा अन्य वैकल्पिक ईंधन सामग्री उपलब्ध करायेगा।
8. लोक निर्माण विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा 9.80 हे0 अवनत वन क्षेत्र पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसका रख–रखाव किया जायेगा।

9. लोक निर्माण विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण किया जायेगा।
10. लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद स्तरीय समिति की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
11. कार्य आरम्भ होने से पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना, 1994 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
12. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी से एन0पी0वी0 की धनराशि एकत्रित कर उक्त धनराशि को क्षतिपूरक वनारोपण प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (CAMPA) को स्थानान्तरित किया जायेगा।
14. प्रस्तावित परियोजना के लिए हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि पर लोक निर्माण विभाग के व्यय पर आर0सी0सी0 पिलरों से (फोर बिल्डिंग व टैक बियरिंग लकर) सीमांकन किया जायेगा व प्रभागीय स्तर पर वन भूमि हस्तान्तरण के अभिलेखों में भी अंकित किया जायेगा।
15. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न मलबे का निस्तारण डम्पिंग स्थल (Dumping Sites) चयनित कर किया जायेगा व अपने व्यय पर डम्पिंग स्थल का पुनर्वास/पुनर्स्थापना कार्य किया जायेगा।

2. उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या ए-2-75/दस-77-14(4)/74 दिनांक 3-2-1977 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

संख्या-जी0आई0- 10 47 /7-1-2006-500(1151)/2005 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, सैक्टर-एच, पंचम तल, अलीगंज, लखनऊ।
2. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
3. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल शासन।
4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

कार्यालय अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 2099 / 2 ई0व0भू0 दिनांक सितम्बर, 12, 2016

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर

विषयः— हरिनगरी—पयां मोटर मार्ग से दाबू हड़ाप तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या 10042/ 2015)

सन्दर्भः— वन संरक्षक, उत्तरी कुमायूँ वृत, अल्मोड़ा का पत्रांक 3626/ 12—1 दिनांक 01.04.2016 एवं आपके कार्यालय की टिप्पणी दिनांक 23.06.2016 एवं दिनांक 18.07.2016

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ का अवलोकन करने का कष्ट करें जो आपको सम्बोधित है। भारत सरकार द्वारा जारी EDS dated 21.03.2016 FP/ROAD/ 10042/ 2015 पर नोडल अधिकारी, कार्यालय, द्वारा दिनांक 31.03.2016 को अग्रसारित आपत्ति का निराकरण निम्न प्रकार किया जा रहा है : —

क.सं.	लगायी गयी आपत्ति	आपत्ति का उत्तर
1	Short narrative of the Project does not give adequate information in part I.	Details nerrative for the project is given in Justification and report, may kindly seen..
2	Authority letter does not issued for the applicant information filled.	Proposal online uploaded on 11.02.2015 by Sri Mahendra Kumar and authority letter was also in the name of Sri Mahendra Kumar. A photo copy of his authority letter is being uploaded for confirmation.
3	Starting and end point of the proposed road is not market on the SOI topo sheet map uploaded in part I.	Starting point Malla paya and end point village Harap already mentioned in Geo-referrenced Digital map, A hard copy of digital map attached.
4	Total period for which forest land to be diverted is not mentioned in Part I.	For 50 years. has been mentioned in appropriate place of part I.
5	GPS co-ordinate marked digitally on geo-referrenced map for every corner of land proposed for CA is not provided. It should be uploaded in the designatd place in part I and II. Google map is not acceptable for the purpose.	CA proposed in village Bagdungra in Tehsiil Bageshwar. A revised Geo-referenced Digital map for CA is being uploaded in part I as per instructions and hard copy attached for record.
6	Ownership details, Khasra numbers and copy of MOU signed regarding CA site between owner and the user agency is not uploaded in part I for the area	The CA site is proposed within approved land bank by State Govt and already handed over to Forest Department for administrative control as per D.M letter no. 558/ XXVI-Ban/ 2010-11

	indentified for CA.	dated 02.07.2010, A copy of above letter along with land scheldule and certificate is attached.
7	As per detail provided in hard copy the proposed diversion is an extention of already approved road. Therefore, past information in the designated column in part I regading prior approved case is need to be mentioned.	The proposed motor road is an extention of Harinagri-Paya Motor road . Information regarding prior approval is being mentioned in part I. Copy of approval is being enclosed herewith for confirmation.
8	The muck disposal is proposed with in RoW therefore GPS co-ordinate may be provided for all points marked for the dumping along the stretch of proposed road in geo-referenced map.	Muck dumping site selected in khud side of the proposed motor road in each km within 07 M width and co-ordinated of each place has already mentioned in geo-referenced googie map. The Area for muck dumping site is already included in land schedule of state land as mentioned in item 7 of Muck disposal plan. A copy of digital map showing dumping sites is enclosed herewith.
9	Part I, II,III. IV and V filled in online form is not provided with the hard copy of the proposal.	It will be provided by Nodal Officer 's Office or State Govt.

अतः तद्नुसार सूचना अपने स्तर से upload कराने का कष्ट करें।

भवदीय

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

डिजिटल मैप – जनपद बागेश्वर में एस0सी0पी0 के अन्तर्गत हरिनगरी पयॉ मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार निर्माण हेतु

0 0.5 1 1.5 2 Km

1 : 50,000

N W E S

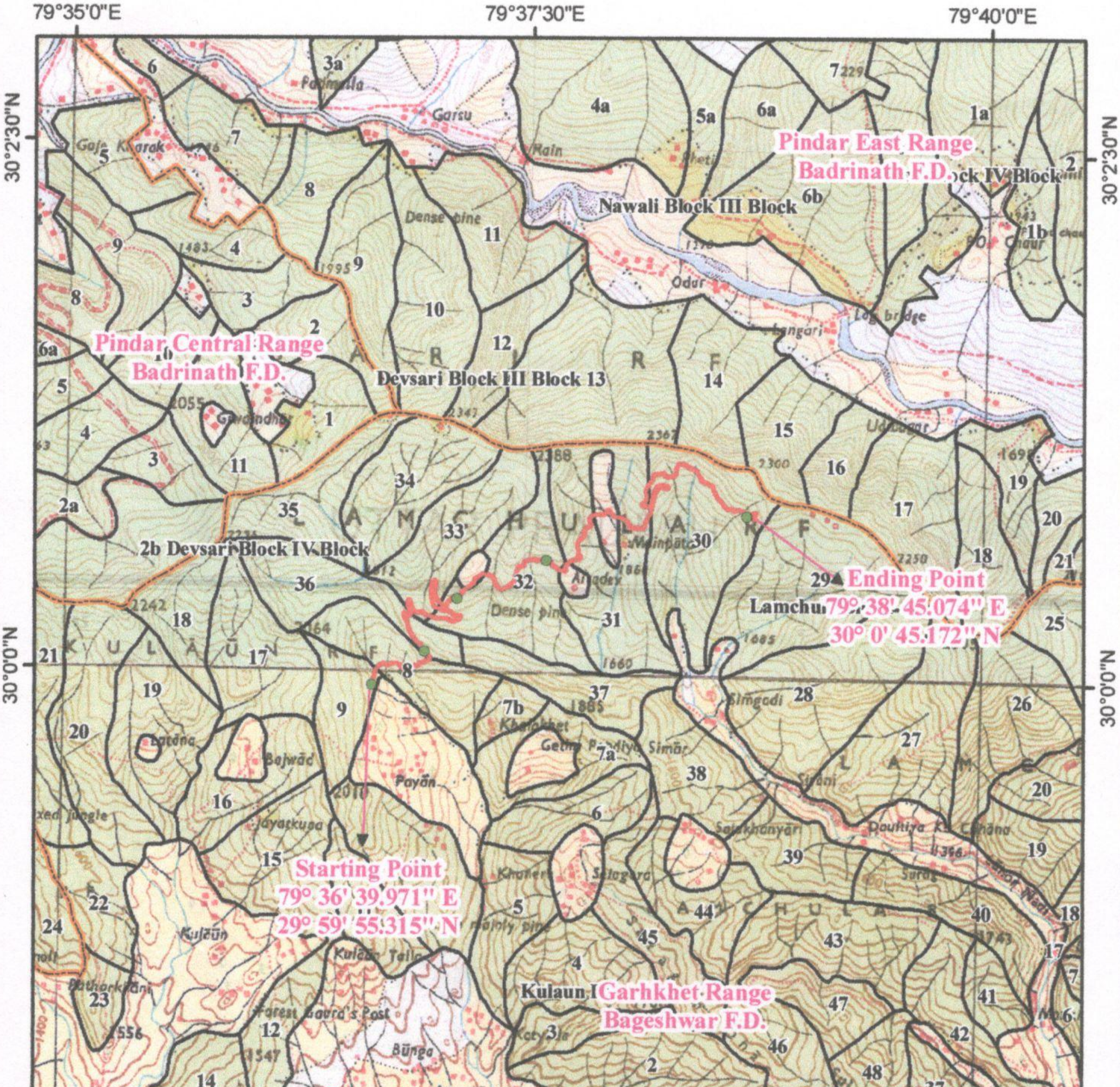

Legend

- Dumping Zone
- Proposed Road
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

डिजिटल मैप – जनपद बागेश्वर में एस0सी0पी0 के अन्तर्गत हरिनगरी पयाँ मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

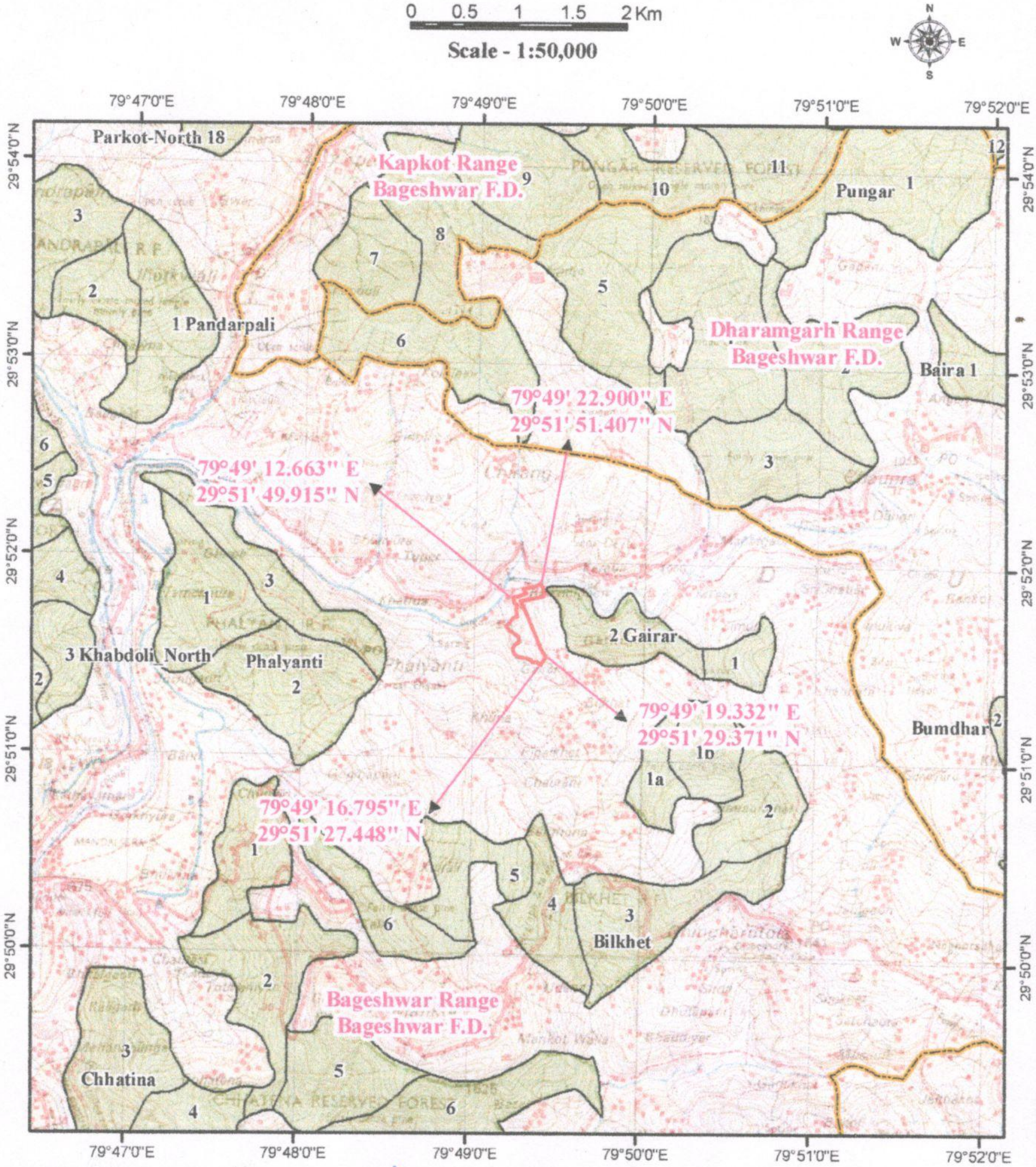

Legend

- Proposed Plantation
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

जीयोरेफेरेन्स मैप – जनपद बागेश्वर में एस0सी0पी0 के अन्तर्गत हरिनगरी पयाँ मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार निर्माण हेतु

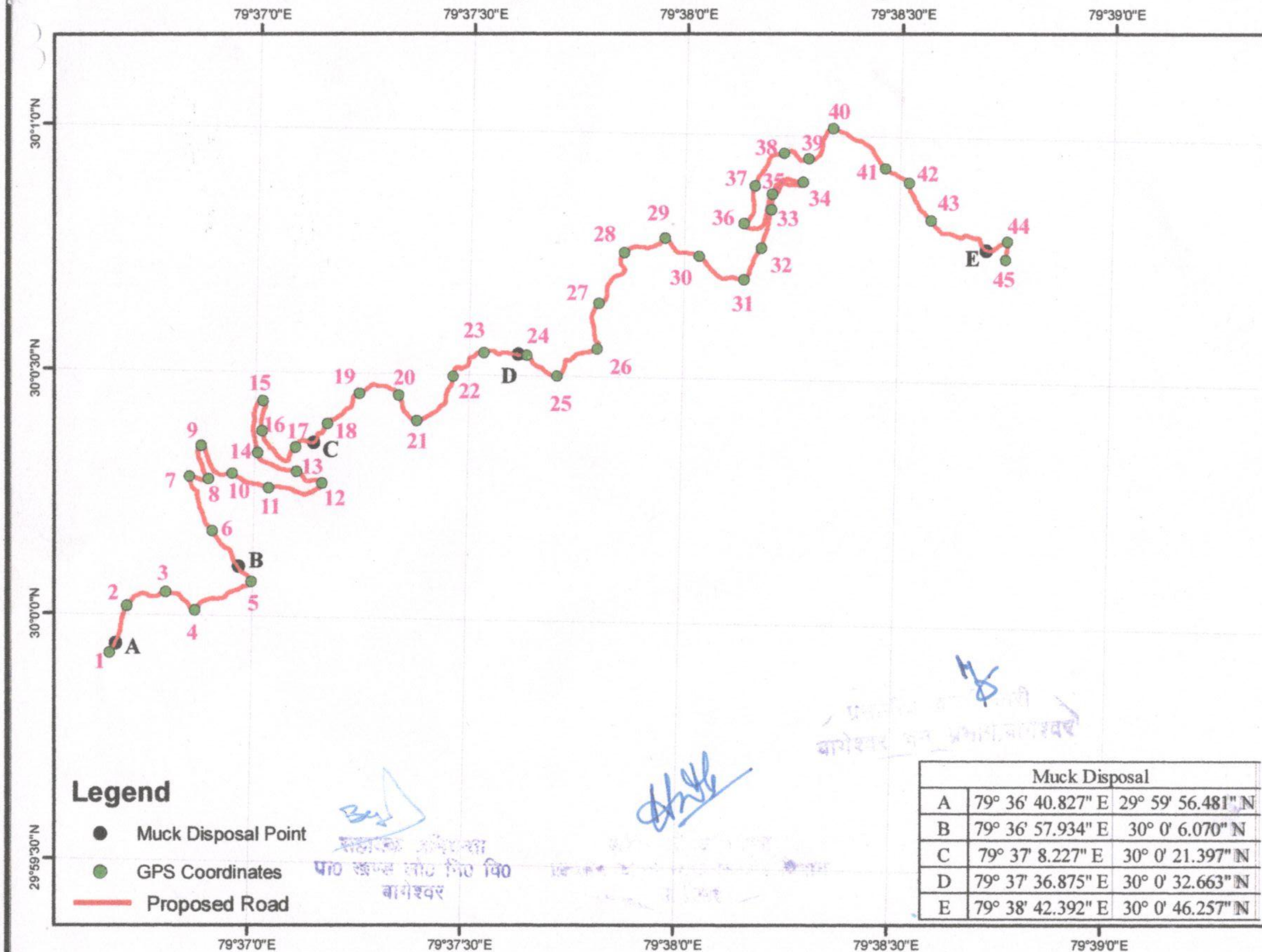

S.no.	Longitude	Latitude
1	79° 36' 39.971" E	29° 59' 55.315" N
2	79° 36' 42.266" E	30° 0' 1.018" N
3	79° 36' 47.751" E	30° 0' 2.771" N
4	79° 36' 51.821" E	30° 0' 0.558" N
5	79° 36' 59.686" E	30° 0' 4.143" N
6	79° 36' 54.144" E	30° 0' 10.360" N
7	79° 36' 50.798" E	30° 0' 16.943" N
8	79° 36' 53.421" E	30° 0' 16.672" N
9	79° 36' 52.400" E	30° 0' 20.795" N
10	79° 36' 56.845" E	30° 0' 17.388" N
11	79° 37' 1.971" E	30° 0' 15.744" N
12	79° 37' 9.504" E	30° 0' 16.325" N
13	79° 37' 5.828" E	30° 0' 17.775" N
14	79° 37' 0.378" E	30° 0' 20.012" N
15	79° 37' 1.013" E	30° 0' 26.406" N
16	79° 37' 0.942" E	30° 0' 22.701" N
17	79° 37' 5.691" E	30° 0' 20.744" N
18	79° 37' 10.103" E	30° 0' 23.704" N
19	79° 37' 14.547" E	30° 0' 27.444" N
20	79° 37' 20.057" E	30° 0' 27.311" N
21	79° 37' 22.666" E	30° 0' 24.312" N
22	79° 37' 27.661" E	30° 0' 29.785" N
23	79° 37' 31.969" E	30° 0' 32.810" N
24	79° 37' 38.057" E	30° 0' 32.503" N
25	79° 37' 42.375" E	30° 0' 30.026" N
26	79° 37' 47.903" E	30° 0' 33.448" N
27	79° 37' 48.073" E	30° 0' 38.979" N
28	79° 37' 51.461" E	30° 0' 45.376" N
29	79° 37' 57.205" E	30° 0' 47.160" N
30	79° 38' 2.015" E	30° 0' 45.005" N
31	79° 38' 8.362" E	30° 0' 42.205" N
32	79° 38' 10.685" E	30° 0' 46.156" N
33	79° 38' 12.005" E	30° 0' 50.891" N
34	79° 38' 16.458" E	30° 0' 54.241" N
35	79° 38' 12.072" E	30° 0' 52.800" N
36	79° 38' 8.168" E	30° 0' 49.096" N
37	79° 38' 9.660" E	30° 0' 53.729" N
38	79° 38' 13.733" E	30° 0' 57.851" N
39	79° 38' 17.124" E	30° 0' 57.226" N
40	79° 38' 20.585" E	30° 1' 0.885" N
41	79° 38' 27.894" E	30° 0' 56.137" N
42	79° 38' 31.346" E	30° 0' 54.446" N
43	79° 38' 34.531" E	30° 0' 49.853" N
44	79° 38' 45.263" E	30° 0' 47.417" N
45	79° 38' 45.074" E	30° 0' 45.172" N

Muck Disposal		
A	79° 36' 40.827" E	29° 59' 56.481" N
B	79° 36' 57.934" E	30° 0' 6.070" N
C	79° 37' 8.227" E	30° 0' 21.397" N
D	79° 37' 36.875" E	30° 0' 32.663" N
E	79° 38' 42.392" E	30° 0' 46.257" N

पा0 खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

डिजिटल मैप – जनपद बागेश्वर में एस0सी0पी0 के अन्तर्गत हरिनगरी पयाँ मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार निर्माण हेतु

0 0.5 1 1.5 2 Km

1 : 50,000

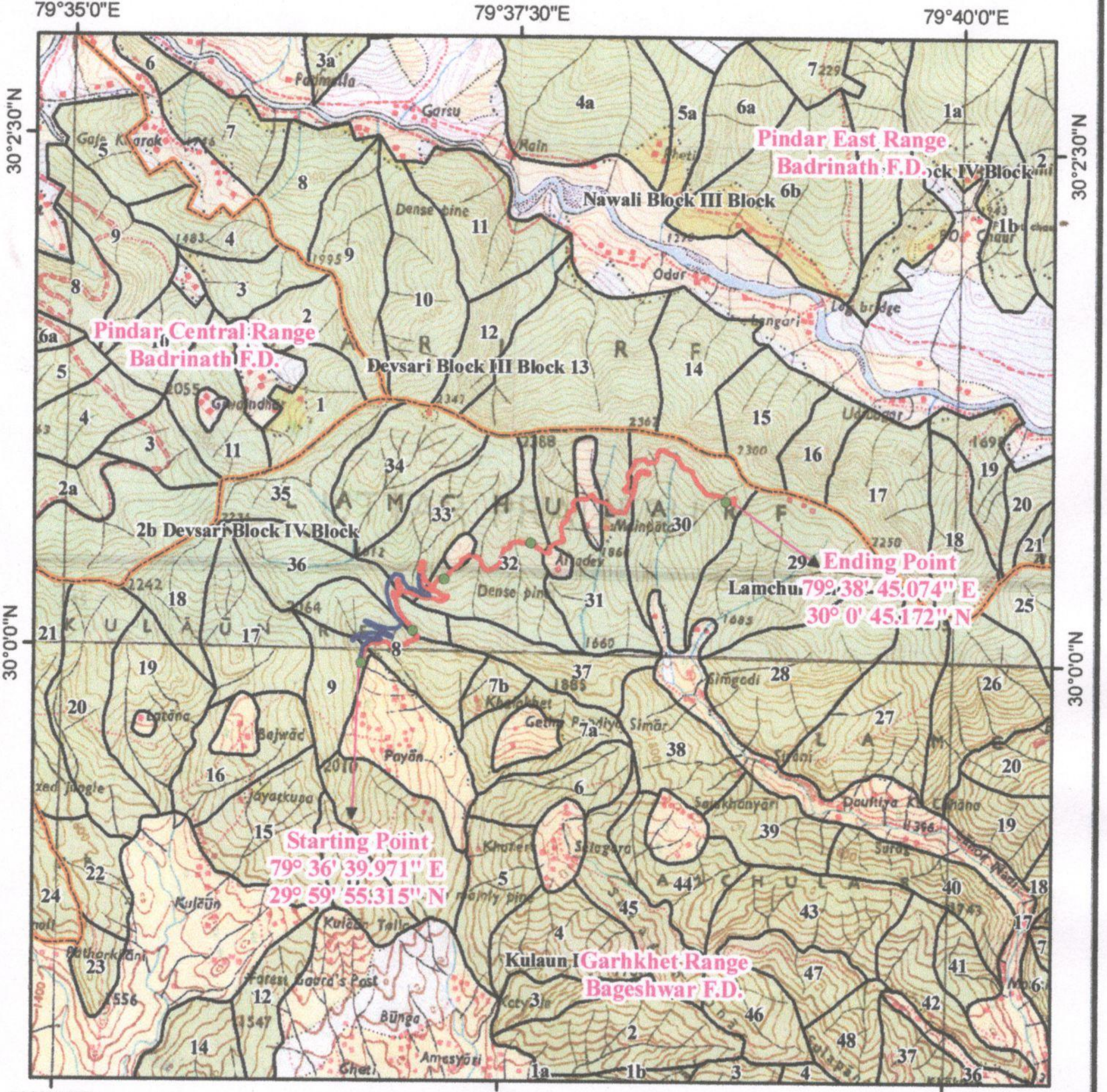

Legend

- Dumping Zone
- Proposed Road
- Alternate Road
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary

सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

जीयोरेफेरेन्स मैप – जनपद बागेश्वर में एस0सी0पी0 के अन्तर्गत हरिनगरी पयॉ मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

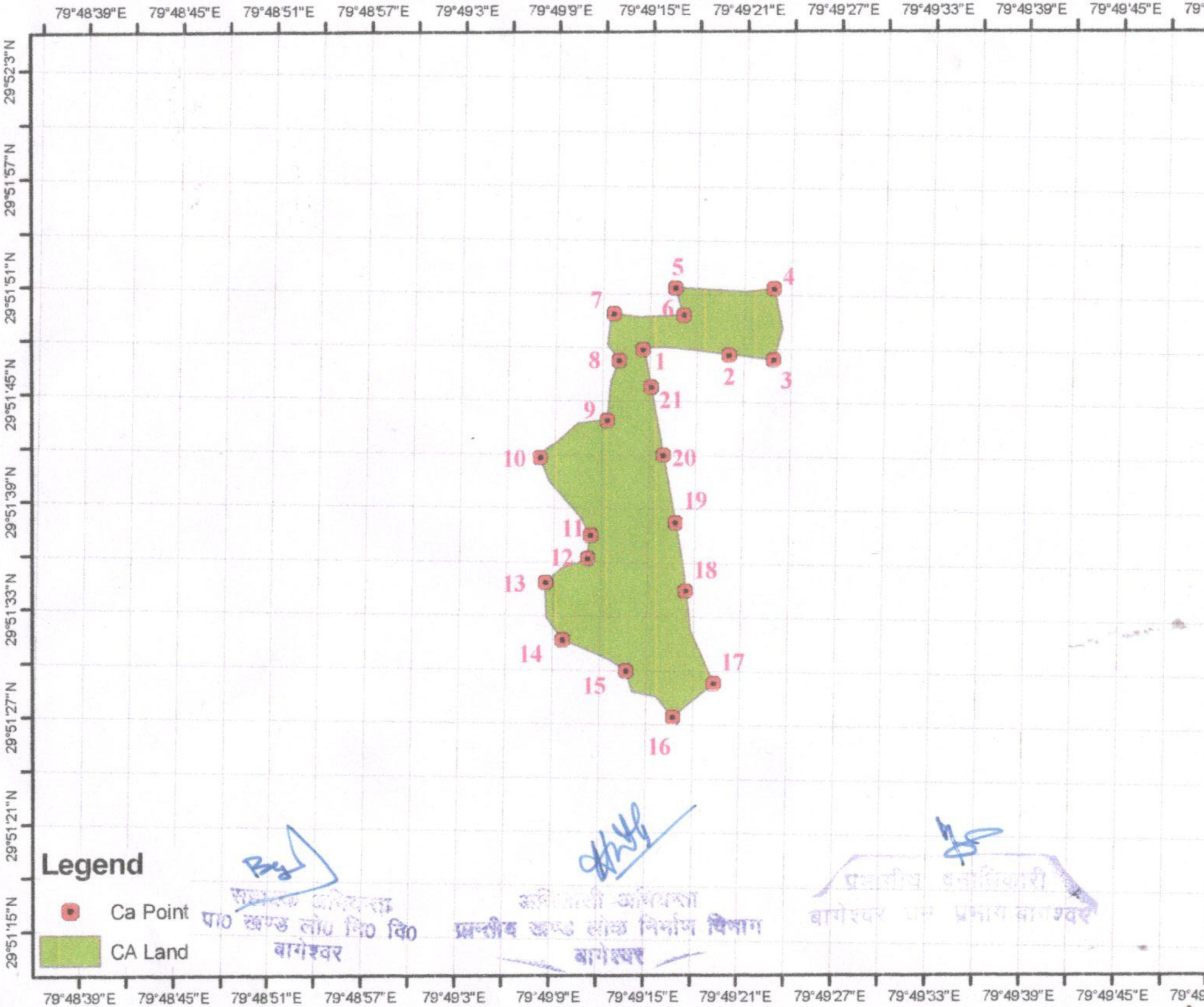

S.no.	Longitude	Latitude
1	79°49' 14.580" E	29°51' 47.956" N
2	79°49' 20.039" E	29°51' 47.701" N
3	79°49' 22.892" E	29°51' 47.444" N
4	79°49' 22.900" E	29°51' 51.407" N
5	79°49' 16.613" E	29°51' 51.340" N
6	79°49' 17.135" E	29°51' 49.856" N
7	79°49' 12.663" E	29°51' 49.915" N
8	79°49' 13.049" E	29°51' 47.297" N
9	79°49' 12.343" E	29°51' 43.976" N
10	79°49' 8.066" E	29°51' 41.822" N
11	79°49' 11.358" E	29°51' 37.533" N
12	79°49' 11.145" E	29°51' 36.252" N
13	79°49' 8.507" E	29°51' 34.858" N
14	79°49' 9.642" E	29°51' 31.718" N
15	79°49' 13.731" E	29°51' 30.037" N
16	79°49' 16.795" E	29°51' 27.448" N
17	79°49' 19.332" E	29°51' 29.371" N
18	79°49' 17.504" E	29°51' 34.484" N
19	79°49' 16.768" E	29°51' 38.276" N
20	79°49' 15.926" E	29°51' 42.048" N
21	79°49' 15.084" E	29°51' 45.820" N

पा0 खण्ड लो0 नि0 वि0 बागेश्वर

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

प्रपत्र–2

परिशिष्ठ
(देखिय नियम–6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

क.सं.	परियोजना विवरण :–	
1	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	**एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयॉ मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार (लम्बाई 9.50 कि.मी.)**
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
	ग) परियोजना की लागत।	रू0 473.11 लाख (शासनादेश की प्रति प्रस्ताव में संलग्न है)
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	अन्य वैकल्पिक संरेखण उपलब्ध न होने के कारण मार्ग का संरेखण वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है।
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	प्रस्ताव में संलग्न है।
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	मार्ग निर्माण के दौरान लगभग 190 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में ही नये रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे जिससे युवाओं का शहरों की ओर पलायन रूकेगा।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	आरक्षित वन भूमि – 5.585 है0 वन पंचायत भूमि – 0.220 है0 सिविल सोयम भूमि– 0.255 है0 **कुल वन भूमि – 6.060 है0** नाप भूमि – 0.590 है0 **कुल भूमि :– – 6.650 हैक्टेयर** (कच्चा ग्रामीण मोटर मार्ग निर्माण हेतु)
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई हों, क) परिवारों की संख्या	आवश्यकता नहीं है। लागू नहीं है।
	ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	लागू नहीं है।
	ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	आवश्यकता नहीं है।
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नही)	मोटर मार्ग कच्चा निर्मित होना है। अतः पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ--साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	सामान्य नियमों के अन्तर्गत दुगुने सिविल सोयम भूमि में वनीकरण हेतु 5 वर्षों तक रखरखाव का प्राविधान करते हुए क्षतिपूरक वनीकरण आंगणन एव मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण का आंगणन वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्ताव में लगाया गया है। वृक्षारोपण व्यय, एन0पी0वी0 तथा मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर पौधारोपण में आने वाला व्यय लोक निर्माण विभाग द्वारा बहन करने सम्बन्धी बचनबद्धता भी प्रस्ताव में संलग्न है।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावजेजों का व्यौरा।	सारिणी 4 के अनुसार सभी प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न हैं एवं हस्ताक्षरित है।

दिनांक 21-12-2016
स्थान– बागेश्वर

प्रयोक्ता ऐजेन्सी के हस्ताक्षर, नाम, मुहर

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रस्ताव की कम संख्या..
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

प्रस्ताव की कम संख्या...

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

(9)

भाग–।।

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.........

क. सं.	विवरण	
7	परियोजना / स्कीम का स्थान	**एस.सी.पी. के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार लम्बाई 9.50 कि.मी.**
i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखंड
ii)	जिला	बागेश्वर
iii)	वन प्रभाग	बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर
iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	**6.060 हैक्टेयर**
v)	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित, सिविल सोयम एवं वन पंचायत भूमि।
vi)	हरियाली का घनत्व	**0. 3** / Eco- Class V
vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए।	सूची पृ0सं0 16 पर संलग्न है।
viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	भू-क्षरण की सम्भावना नही है।
ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	मार्ग का अधिकांश भाग आरक्षित वन भूमि से जा रहा है।
x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयॉ अनुबन्धित की जाए)	संलग्न है।
xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है यदि हां / तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	—n—
xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	—n—
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	—n—
9	क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हॉ / नहीं) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	—n—

10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौराः–	
i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	संलग्न है।
ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	–"–
iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वियन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	बांज फल्यांट तेजपात आंवला मेहल आदि
iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	संलग्न है।
v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।	–"–
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	–"–
12	प्रभाग/जिला प्रोफाइल	
i)	जिला का भौगोलिक क्षेत्र।	2310 वर्ग कि० मी०
ii)	ज़िला का वन क्षेत्र।	1074 –"–
iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।	355 मामले 1453.2083 है०
iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण	1315.278 है०
क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	–
ख)	वनेत्तर भूमि पर .... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	–
क)	वन भूमि पर	1081.006 है०
ख)	वनेत्तर भूमि पर	234.272 है०
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

दिनांक 25-11-2013

स्थान बागेश्वर

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

भाग– III
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)

14–	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों की निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	18/5/2014
15–	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।	सहमत।
16–	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिश।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती हैं। प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित होने वाले 10–20 सेमी0 व्यास वर्ग के पौधों का प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वयं के व्यय से निकटवर्ती उपलब्ध रिक्त क्षेत्र में प्रत्यारोपण किया जायेगा तथा प्रत्यारोपित पौधों की सुरक्षा हेतु माकूल व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

तिथि – 07/6/2014
स्थान – अल्मोड़ा

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।